

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 251
गुरुवार, 08 दिसम्बर, 2022/17 अग्रहायण, 1944 (शक)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी

251. श्री विजय पाल सिंह तोमर:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और
- (ख) देश में एबीआरवाई के अंतर्गत आवंटित, स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में इस योजना ने क्या उपलब्धि हासिल की है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के तहत लाभार्थियों की संख्या अनुबंध में दी गई है।

(ख): वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान योजना के लिए 6400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस योजना के प्रारंभ से दिनांक 28.11.2022 तक 8180.00 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं और इस योजना के तहत 60.13 लाख लाभार्थियों को 7855.07 करोड़ रुपये के लाभ की राशि उपलब्ध कराई गई है।

राज्य सभा के दिनांक 08.12.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 251 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्य-वार लाभार्थियों की संख्या (28.11.2022 तक)		
राज्य का नाम	लाभार्थी प्रतिष्ठानों की संख्या	लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	36	477
आंध्र प्रदेश	4025	166059
अरुणाचल प्रदेश	17	514
असम	659	19751
बिहार	1205	27951
चंडीगढ़	1575	64467
छत्तीसगढ़	2929	84814
दिल्ली	3128	225942
गोवा	538	20812
गुजरात	15484	641689
हरियाणा	7604	397214
हिमाचल प्रदेश	2151	83058
जम्मू और कश्मीर	885	19339
झारखंड	2232	62492
कर्नाटक	10933	483494
केरल	2716	95923
लद्दाख	16	186
मध्य प्रदेश	6202	203996
महाराष्ट्र	22336	974021
मणिपुर	56	1409
मेघालय	37	1208
मिजोरम	15	377
नागालैंड	17	234
ओडिशा	4176	89023
पंजाब	6507	170237
राजस्थान	11412	325050
सिक्किम	112	3763
तमिलनाडु	16615	812807
तेलंगाना	5349	281114
त्रिपुरा	150	5440
उत्तर प्रदेश	12350	430552
उत्तराखंड	2409	93180
पश्चिम बंगाल	7654	226239
सकल योग	151,530	6,012,832